

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 506/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री लालू धनवार

माग्रेट पुतुल गुड़िया

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम  
संख्या और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्रवाई के  
बारे में टिप्पणी,  
तारीख सहित

30.05.20

## आदेश


आवेदक श्री लालू धनवार पिता स्व० गूगा धनवार ग्राम-जम्हार, पोस्ट-गोविन्दपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने माग्रेट पुतुल गुड़िया पति श्री मार्टिन मुन्डा ग्राम-कुरीद, पोस्ट-गोविन्दपुर, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।


ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
जम्हार	44	20	507	0.06

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 560 दिनांक 22.05.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता लालू धनवार की मृत्यु हो जाने के कारण भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।